

FORM NO.III

फर्द अहकाम
(नियम 26)

प्रज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम चित्तौड़गढ़ (राज.)

रतन बनाम अरुण

किस्म मुकदमा प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 128 एल.आर.एक्ट. नम्बर 09/2022

तारीख हुक्म

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

07/11/22

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 रालेरेए के तहत प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत, दर्ज रजिस्टर हो।

प्रार्थी श्री / श्रीमती रतन - अरुण - शंभु - देउ, नारायणी

पिता श्री किशन जी भीम, घीसीवाड़ी w/o किशन जी भीम

निवासी- अभयपुर तहसील व जिला चित्तौड़गढ़ ने ग्राम

अभयपुर स्थित खातेदारी की आराजी नम्बर 107, 112, 113, 114, 121, 123

कुल कीता 6 कुल रकबा 1.1400 है0 की पत्थरगढी कराये जाने हेतु निवेदन किया। उक्त आराजी प्रार्थी के खातेदारी की आराजी में दर्ज रेकार्ड है।

अतः प्रार्थी की ग्राम अभयपुर स्थित खातेदारी की भूमि आराजी नम्बर 107, 112, 113, 114, 121, 123

कुल कीता 6 रकबा 1.1400 है0 की बिना किसी कब्जे में दखलन्दाजी किये, सेंटलमेन्ट नक्शे अनुसार पत्थरगढी करने के आदेश दिये जाते है। पत्थरगढी का खर्चा प्रार्थी वहन करेगा। शुल्क 1000000 रुपये अक्षरे एफ. ए. आर. जे. ए. प्रार्थी से वसुल हो, पालना प्राप्त हो। पत्रावली निर्णित हो। पत्रावली पालना प्राप्ति पर पेश हो।

(रजाम सुन्दर विश्नोई)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)



न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी चित्तौड़गढ़

क्रमांक / सरिश्ता / प्रा.पत्र 09 / 2022 / 10

दिनांक 10/01/22

तहसीलदार

~~चित्तौड़गढ़~~ / वस्ती

विषय : पत्थरगढ़ी करने के सम्बन्ध में।

प्रकरण : 1. ले 5 रतन - भैंस - शम्भू - देउ - नारायणी चित्तौड़
किशन जी भीम निवासी अमरपुर तहसील वस्ती
6- धीलीबाई पत्नी किशन जी भीम रा० अमरपुर
वनाम प्राप्ति

- 1- भूरा पिता देवा जी भीम रा० अमरपुर
 - 2- नारायणलाल पिता भैरवलाल गुजर रा० अमरपुर
 - 3- शंकर पिता लोचन गुजर रा० अमरपुर
 - 4- शम्भू जरीर तहसील चित्तौड़गढ़
- विपक्षीय

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 एल.आर.एक्ट

उपरोक्त विषयाकित अनवान के प्रकरण में ग्राम अमरपुर खतौनी सं. 65
संवत् 2068-2071 में अकित आराजी नम्बर 107, 112, 113, 114, 121, 123
कुल कित 6 रकबा 1.1400 है। भूमि की
नियमानुसार मौके पर विवाद रहित पाये जाने पर कब्जे में दखलन्दाजी किये बिना
पक्षकारों को सूचना देकर सीमाकन (पत्थरगढ़ी) कर दिया जावे। खर्चा कमिश्नर
शुल्क रूपये 1000=00 अक्षरे एक हजार शम्भू मात्र प्रार्थी
वहन करेगें। पालना रिपोर्ट न्यायालय में (15 दिवस में) शीघ्र भिजावे।

उपखण्ड अधिकारी
सहायक कलक्टर एवं
चित्तौड़गढ़
उपखण्ड अधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)